प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक 10.04.2026

थाना नगर पुलिस व एण्टी थेफ्ट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में अन्तर्राज्यीय गिरोह के एक चोर को गिरफ्तार कर चोरी गये रुपये 98,500/- व एक अदद अंगुठी पीली धातु, एक अदद चैन पीली धातु बरामद किया गया |

थाना नगर पुलिस व एण्टी थेफ्ट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना नगर क्षेत्रान्तर्गत हुए चोरी के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-64/2026 धारा 331(4), 305(a) BNS **व** थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत हुए चोरी के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-35/2026 धारा-331(4), 305(a) BNS से संबंधित वांछित **अभियुक्त 1-** अर्जुन पुत्र रामकेश उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबीर ख़ास की सूचना पर दिनांक-10.04.2026 को समय करीब 02:30 बजे बेलाड़ी पुल के नीचे से गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से चोरी गए 1-** एक अदद अंगुठी व एक अदद चैन पीली धातु व **2-** नगद रुपये 98,500/- बरामद किया गया जोकि ग्राम मरवटिया बाबू थाना नगर क्षेत्र व ग्राम गड़हा गौतम बाना थाना कप्तानगंज से चुराया गया था |

विदित हो कि उक्त के संबंध में थाना नगर पर मु0अ0सं0-64/2026 धारा 331(4), 305(a) BNS व थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 35/2026 धारा 331 (4), 305 (a) BNS पंजीकृत है |

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अर्जुन पुत्र रामकेश उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मदनगिरी थाना डा० अम्बेडकरनगर जनपद दक्षिण जिला, नई दिल्ली |

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद अंगुठी व एक अदद चैन पीली धातु |

2- नगद रुपये 98,500/- |

घटना/ पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-

पूछताछ के दौरान **अभियुक्त 1-** अर्जुन पुत्र रामकेश द्वारा बताया गया कि मैं **व A-**मल्लिगा पत्नी श्रीनिवास, **B-**अभिमन्यु पुत्र सूरज, **C-**विजय पुत्र श्रीनिवास, **D-**विकास नायडू पुत्र षनमुगम नायडू निवासीगण मकान नं0-896, शीतला माता मंदिर सी-1 कालोनी मदनगिरी थाना अम्बेडकरनगर नई दिल्ली का एक गिरोह है | हम लोग मिलकर बाहर घूम-घूम कर चोरियां करते है | मेरे पास से जो सामान मिला है, उसमे से अंगूठी को फरवरी महीने में हाइवे किनारे स्थित ग्राम गड़हा गौतम थाना कप्तानगंज क्षेत्र से दूसरे घर में छत के रास्ते घुसकर चोरी किया गया था, जोकि मेरे हिस्से में मिला था एवं पहले घर में खिड़की के रास्ते घुसकर चोरी किया गया था तो उसमे मुझे कुछ हिस्सा मिला था, जिसमे से मैं और पैसे को खर्च कर चुका हूँ | मेरे हिस्से के रुपये 27,500/- बचे हुए हैं | मेरे पास से मिले चैन को दिनांक-18/19.03.2026 की रात में मरवटिया बाबू गाँव के पहले मकान मे हुए चोरी का हिस्सा मिला है | शेष सामानों व रुपये के सम्बन्ध में पूछने पर बताया गया कि चोरी किये गए माल सभी लोगों में बंटा था, मेरे पास मरवटिया बाबू में हुए चोरी के हिस्से का रुपये 71,000/- बचा हुआ है जो मरवटिया बाबू गाँव में हुए दूसरे और तीसरे घर के चोरी का है, बाकी खर्च हो गया है एवं चोरी हुए अन्य जेवरात के बारे में पूछा गया तो बताया कि अयोध्या पुलिस द्वारा पकड़े गये अन्य साथियो के पास था जो कि अयोध्या पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके है एवं माल भी जब्त हो गया है | संदर्भित उक्त चोरियों के संबंध में थाना नगर जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0-64/2026 धारा-331(4), 305(a) BNS व थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0-35/2026 धारा-331(4), 305(a) BNS पंजीकृत कर विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित थी जिसके क्रम में **संबंधित वांछित अभियुक्त 1-** अर्जुन पुत्र रामकेश को दिनांक-10.04.2026 को समय करीब 02:30 बजे बेलाड़ी पुल के नीचे से गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से चोरी गए 1-** एक अदद अंगुठी व एक अदद चैन पीली धातु व **2-** नगद रुपये 98,500/- बरामद कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह थाना नगर जनपद बस्ती |

2- प्रभारी एण्टी थेफ्ट टीम उ0नि0 रितेश कुमार सिंह जनपद बस्ती |

3- उ0नि0 अवधेश शर्मा थाना नगर जनपद बस्ती |

4- का0 अंकित राय थाना नगर जनपद बस्ती |

5- का0 अरुण यादव, का0 हरिओम सिंह, का0 सौरभ मिश्रा एण्टी थेफ्ट टीम जनपद बस्ती |